तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **सांवरलाल व अन्य बनाम लाली व अन्य** **दीवानी वाद संख्या 102/2021**	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2024	वकील पक्षकारान उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी एवं वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि हस्तगत मामले में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 व उनके अभिवचनों के द्वारा वादी सं. 1 लगायत 3 व स्व. उमराव को धोका देकर बंटवारा के नाम पर अंगुठा निशानी व फर्जी कुटरचित विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2014 को पंजीबद्ध करवाया लिया तथा वादीगण द्वारा फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2014 को निरस्त व शुन्य घोषित करवाने बाबत यह वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के कब्जे व शक्ति में है। अतः प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 से उक्त असल विक्रय पत्र तलब किये जाने का निवेदन किया। इसके खण्डन में अधिवक्ता प्रतिवादीगण का यह कथन है कि वादीगण उक्त विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर चुके हैं तथा केवल मात्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को धोका देकर कोई विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया बल्कि वादी सांवरलाल, जगदीश व उनके भाई उमराव पढे लिखे है जिन्होंने प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है तथा वादी सं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना किशनगढ में भी दर्ज करवाई जिसमें वादी सं. 1 लगायत 3 को पुलिस थाना किशनगढ ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 व 120बी के तहत दोषी मानकर आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि उक्त विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति पूर्व से ही पत्रावली पर उपलब्ध है तथा ऐसी स्थिति में असल विक्रय पत्र को तलब किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।	

	सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत मामले में वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण के विक्रय पत्र दिनांक 11.11.14 को फर्जी एवं कूटरचित तैयार किये जाने के कारण उसे निरस्त करवाने व शून्य घोषित करवाने बाबत यह वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 के पक्ष में निष्पादित किया गया है। वादी के द्वारा उक्त विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति दिनांक 29.09.17 को उपपंजीयन किशनगढ कार्यालय से प्राप्त की गई। हस्तगत मामला साक्ष्य वादी में नियत है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 11.11.14 के अस्तित्व को नकारा नहीं है बल्कि वादीगण द्वारा पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र निष्पादित किया जाना बताया है तथा जवाब प्रार्थना पत्र में भी उक्त विकय पत्र प्रतिवादीगण के कब्जे में ना हो ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आगामी पेशी पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 असल विक्रय पत्र दिनांक 11.11.14 न्यायालय में पेश करे। यदि उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादीगण के कब्जे में ना हो तो इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करे। साथ ही अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सीपीसी प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस थाना किशनगढ में दर्ज करवाया गया जिसमें बाद जांच आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त दस्तावेज प्रकरण के निस्तारण हेतु सुसंगत दस्तावेज है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी 500/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। साथ ही प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाते हैं। पत्रावली वास्ते पेश होने विक्रय पत्र/शपथ पत्र व साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 12.02.2024 को पेश हो।	